न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

जांवताराम विश्नोई बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 12/2026

अन्तर्गत धारा :– अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-1-26.	प्रार्थी जांवताराम विश्नोई निवासी 97 करणी नगर कुड़ी भगतासनी जोधुपर द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर कैंप ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गुड़ा विश्नोईराईकान के खसरा संख्या 698/3 के नामान्तरकरण संख्या 318 पर नाम दर्ज था। परन्तु वर्तमान जमाबंदी में किसी कारणवश/भूलवंश नाम हटने से पुनः राजस्व रैकर्ड में नाम जोड़ने का निवेदन किया है। तहसीलदार लूणी द्वारा पत्र कमांक भू.अ./2025/3092 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की पेश कर रैकर्ड शुद्धि किया जाना उचित बताया है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम ग्राम गुडा विश्नोईयान के ख.न. 698/3 व 698/6 नामांतरकरण संख्या 318 में इन्दाज है परन्तु जमाबन्दी संवत् 2030 2033 बनाते समय प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज होने से रह गया, जो लगातार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। जिसे नामांतरकरण सख्या 318 के आधार पर भू–राजस्व अधिनियम की धारा–136 के अन्तर्गत प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में पुनः दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण 318 का निरीक्षण करने से स्पष्ट है कि ग्राम गुडा विश्नोईराईकान के ख.न. 698/3 व 698/6 में प्रार्थी का नाम जांवता किशना, चौथा व सुखदेव के साथ दर्ज था परंतु परन्तु जमाबन्दी संवत् 2030 2033 में प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज नहीं हुआ है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड शुद्धिकरण कर प्रार्थी का नाम पुनः दर्ज करने की अनुशंषा की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रैकर्ड दुरस्ती की श्रेणी में पोषणीय होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैकर्ड दुरुस्ती का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गुडा विश्नोईराईकान के ख.न. 698/3 व 698/6 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम नियमानुसार हक हिस्से अनुसार दर्ज कर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार आर. ए. एस. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	